बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612-2217960
फैक्स:– 0612-2215611/2215978
ई मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 15.07.2015

आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 की तैयारियों की समीक्षा हेतु आज दिनांक 15.07.2015 को भारत निर्वाचन आयोग के श्री विनोद जुत्शी, उप निर्वाचन आयुक्त, श्री उमेश सिन्हा, उप निर्वाचन आयुक्त, श्री पी० के० दास, महानिदेशक (निर्वाचन व्यय) एवं श्री सुदीप जैन, महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा बिहार राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की गयी। इस बैठक में श्री अजय नायक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, श्री अरविन्द कुमार चौधरी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, श्री आर० लक्ष्मणन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, श्री राहुल सिंह, सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्री सुनील कुमार, ADG (HQ), श्री सुशील खोपड़े, IG (Operation), राज्य स्तरीय नोडल पुलिस पदाधिकारी, I.G. CRPF एवं निदेशक (अन्वेषण) आयकर विभाग भी शामिल हुए।

बैठक के प्रारंभ में श्री विनोद जुत्शी, उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गयी। उनके द्वारा निर्वाचक सूची के प्रकाशन के लिए की जा रही तैयारी, प्रकाशन के पश्चात मतदाता सूची की प्रति विभिन्न राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने, विभिन्न जिलों में चल रहे ई०वी०एम० की प्रथम स्तरीय जाँच में राजनैतिक दलों को उपस्थित रहने हेतु अनुरोध करने, VVPAT के व्यवहारिक उपयोग से मतदान कर्मियों, मतदाताओं एवं राजनैतिक दलों को अवगत कराने, शांतिपूर्ण मतदान हेतु निरोधात्मक कार्रवाई करने, Vulnerability Mapping की कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश, अभ्यर्थी व्यय के अनुश्रवण हेतु निदेशों को लागू करने, नवीन पोरटल बैलेट के माध्यम से मतदान की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने आदि के संबंध में विस्तृत निदेश बिहार राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला

पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दिया गया। उनके द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्वाचन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने तथा भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के संबंध में आयोग की प्रतिबद्धता रेखांकित करते हुए सभी पदाधिकारियों को निष्पक्ष हो कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

श्री उमेश सिन्हा, उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा जिलावार निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करने के क्रम में संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से उनके जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना एवं सुरक्षा संबंधी की गई कार्रवाई पर चर्चा की गयी तथा विभिन्न बिन्दुओं पर उनका पक्ष प्राप्त किया गया तथा आवश्यक निदेश दिये गये।

श्री पी० के० दास, महानिदेशक (निर्वाचन व्यय) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण हेतु निर्गत नवीनतम निदेशों से अवगत कराया गया। कुल 67 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है और इन क्षेत्रों में नगद राशि को carry करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर सतत् निगरानी रखने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा विशेष रूप से अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों द्वारा चंदा लेने के संबंध में निर्गत निदेश, अभ्यर्थियों के लिए Account Reconciliation Meeting, अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाले Asset/Liability शपथ–पत्र को दो दिनों के अन्दर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट पर अपलोड करने, राजनैतिक दलों/मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने आदि पर निदेश दिया गया।

****